



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 174 राँची, बुधवार,

22 मार्च, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 फरवरी, 2023

1. **संख्या-16/थाना-04/2022- 459**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा राँची जिला के तुमांग पंचायत को खलारी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर मैक्लुस्कीगंज थाना के कार्यक्षेत्र से संबद्ध करती है।

जिला	पंचायत	पूर्व थाना	वर्तमान थाना
राँची	तुमांग	खलारी	मैक्लुस्कीगंज

2. **संख्या-16/थाना-04/2022- 460**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा राँची जिला के खुखरा पंचायत को नरकोपी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर बेड़ो थाना के कार्य क्षेत्र से संबद्ध करती है।

जिला	पंचायत	पूर्व थाना	वर्तमान थाना
राँची	खुखरा	नरकोपी	बेड़ो

3. **संख्या-16/थाना-04/2022- 461**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी थाना के खटौरी, जमखोखरो, चिकनाडीह, मानिकबाद, बैरिया एवं बरवाबाद पंचायत को देवरी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर हिरोडीह थाना के कार्यक्षेत्र से संबद्ध करती है।

जिला	पंचायत	पूर्व थाना	वर्तमान थाना
गिरिडीह	खटौरी, जमखोखरो, चिकनाडीह, मानिकबाद, बैरिया एवं बरवाबाद	देवरी	हिरोडीह

4. **संख्या-16/थाना-04/2022- 462**--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप-धारा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा हजारीबाग जिला के टाटीझरिया प्रखण्ड के खैरा, झरपों और भराजो पंचायत एवं उनके गाँव को ईचाक थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर टाटीझरिया थाना के कार्यक्षेत्र से संबद्ध करती है।

जिला	पंचायत	पूर्व थाना	वर्तमान थाना
हजारीबाग	खैरा, झरपों और भराजो	ईचाक	टाटीझरिया

2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।
